बीस रुपये ₹ 20 रू.20 TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 12AA 290212

दफ्तर .... रसीद दस्तावेज वगैरह 66

किस को दी गई	दस्तावेज की तफसीलवारी व कीमत या दस्तखत की तारीख या किस्म जो मुहरबन्द लिफाफा लिया गया हो जिसके बाबत फीस दाखिल हुई हो उसके ऊपर लिखी हुई इबारत	तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा	रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोटे दस्तखत
1	2	3	4
		105	

तारीख ....

उप-पंजीयक

(2) यह कि, घोषणाकर्ता ने उपर वर्णित भूमिखण्ड पर संलग्न रेखांक जिन्हे शिल्पज्ञ इन्दौर नगर पालिक निगम के दाखला कमांक **0880 दिनांक 25–5–2012** को अनुमोदित किया गया है के अनुसार **"रामकुटी"** नामक भवन का निर्माण किया है।

(3) यह कि, उक्त भवन के कुल **चार मंजिल (याने तल घर + 3)** है सभी तलो का उपयोग आवासीय सुविधाओं या अन्य सामान्य प्रयोजनों के लिये किया जाएगा। भूतल (बेसमेंट) तीन उपरी तल तथा पेन्ट हाउस जिसमें व्यक्तिक प्रकोष्ठ भी है, सभी आवासीय/व्यवसायिक प्रयोजनों के लिये है। भूतल तथा उपरी तलों का अलग अलग रूप भांगों में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि उनका अपना एक ऐसा निर्गम मार्ग है, जहां से भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा से पहुंचा जा सकता है और प्रत्येक प्रकोष्ठ एक या एक से अधिक स्वामियों को सुविधानुसार अलग–अलग भागों में बेचे जाएंगे और उसमें प्रत्येक स्वामियों को उसका विशिष्ट तथा अन्य संपत्ति अधिकार, अधिप्राप्ति तथा प्रत्येक प्रकोष्ठ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "परिवार" इकाई के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।) राज्य में तत्समय प्रवत्त किसी भी विधि की अर्थान्तर्गत दाय योग्य तथा हस्तान्तरणिय स्थावर संपत्ति होगा। इस लेख के साथ भवन के चढाव, पेसेज एवं भवन की पानी की मोटर, बोरिंग, पानी की टंकी इत्यादि समस्त प्रकोष्ठ होल्डर के सामुहिक उपयोग एवं उपभोग हेतु रहेगे, जिसका मेन्टेनेन्स सभी प्रकोष्ठधारी सामुहिक रूप से करेगें। निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाओं पर समस्त रहवासियों को अविभाजित हित भी अभिप्राप्त होगा और उपर्युक्त सभी बातें मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियिम, 2000 के अनुसार होगी, इस अधिनियम की प्रत्येक शर्त उपरोक्त भवन की प्रत्येक प्रकोष्ठधारियों को मान्य होकर उस पर बंधनकारक होगी।

अविरत 3

·13182 -11 JUN 2012

प्रथम पेज के साथ [illegible]

श्री योगेशमोहन पि. रामभूषण भटनागर

नि. 61 ए [illegible] नगर इन्दौर

मधुबाला जैन
स्टाम्प वेन्डर
[illegible] इन्दौर (म. प्र.)

जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ स्वीकार करते हैं कि तथाकथित ....लिखत का निष्पादन किया गया है और [illegible] /आंशिक रु.. (अंकों व शब्दों में) [illegible] हो गये हैं तथा रु.............................. (अंकों व शब्दों में) उन्हें मेरी उपस्थिति में चुकाये गये हैं, और प्रतिफल की बकाया रकम यथा रु...................... रह गई है जो पंजीयन के बाद प्राप्त । आज तारीख ....

(1) संतोष कुमार पि. रामकिशोर जी
नि. 227 सर्वसंपन्न नगर इन्दौर

(2) अविनाश पि. रामरतन
नि. 111/3 ए समाजवादी नगर इन्दौर

की जाँच पूर्वोक्त निष्पादक/निष्पादकों की शिनाख्त के विषय में की गई है।
आज तारीख .... -8 JUN 2012

उप पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 2

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH 12AA 290213

(4) यह कि, उपरोक्त भवन का निर्मित एरिया (सुपर बिल्टअप एरिया) करीब नक्षेनुसार होगा इस एरिये में सदर भवन के कामन पैसेज, चढाव इत्यादि का एरिया भी सम्मिलित है।

(5) यह कि, उपरोक्त भवन की पारिवारिक इकाईयां तथा सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं निम्नानुसार होगी :–

1– यह कि, पारिवारिक इकाईया उपरोक्त सहस्वामित्व भवन के प्रत्येक तल में कमशः पारिवारिक/व्यवसायिक इकाईयां है उक्त इकाईयों को प्रत्येक तल घर में एक प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक बी–1), तल मंजिल में एक प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक जी–1) प्रथम मंजिल में दो प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक 101 व 102), द्वितीय मंजिल में दो प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक 201 व 202) तथा पेन्ट हाउस में एक प्रकोष्ठ (प्रकोष्ठ कमांक पी–1) तक की पारिवारिक इकाईयां है? इसमें इसके पश्चात ऐसी पारिवारिक इकाईयों को कमशः पारिवारिक इकाई टाईप कमांक 1 पारिवारिक इकाई टाईप कमांक 2 आदि के रूप में निदेष्टि किया जायेगा।

प्रत्येक पारिवारिक इकाई में विद्युत संयोजन हेतु प्वाइंट उपलब्ध होगे पारिवारिक इकाईयों का वर्णन इसके नीचे दिया गया है पारिवारिक इकाई के माप में सभी बाहरी दिवालें तथा आदि ब्लाक विभाजक दिवाल सम्मिलित है किन्तु भारवाही बियरिंग दिवालें सम्मिलित नहीं है।

अविरत 4

13183 - 1 JUN 2012

निष्पादक / पालक / अभिकर्ता .... के अंगूठे
का मिलान मेरे समक्ष ता .... -8 JUN 2012
को किया गया।

उप पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 2

मधुबाला जैन
स्टाम्प वेण्डर
इन्दौर (म. प्र.)

निष्पादक / पालक / अभिकर्ता .... के अंगूठे
का मिलान मेरे समक्ष ता .... -8 JUN 2012
को किया गया।

उप पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 2

निष्पादक / पालक / अभिकर्ता .... के अंगूठे
का मिलान मेरे समक्ष ता .... -8 JUN 2012
को किया गया।

उप पंजीयक
उप-जिला, इन्दौर - 2

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

12AA 290214

<u>पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (1)</u>

इस प्रकार के सदर भवन की तल घर में कुल एक प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर बी–1 का सुपर बिल्टप एरिया 750 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ तल घर पर स्थित होगे।

<u>पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (2)</u>

इस प्रकार के सदर भवन की तल मंजिल में कुल एक प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर जी–1 का सुपर बिल्टप एरिया 2300 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ तल मंजिल पर स्थित होगे।

<u>पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (3)</u>

इस प्रकार के सदर भवन की प्रथम मंजिल में कुल दो प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर 101 का सुपर बिल्टप एरिया 1130 वर्गफीट, प्रकोष्ठ नंबर 102 का सुपर बिल्टप एरिया 1170 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ प्रथम मंजिल पर स्थित होगे।

<u>पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (4)</u>

इस प्रकार के सदर भवन की द्वितीय मंजिल में कुल दो प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर 201 का सुपर बिल्टप एरिया 1130 वर्गफीट, प्रकोष्ठ नंबर 202 का सुपर बिल्टप एरिया 1170 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ द्वितीय मंजिल पर स्थित होगे।

अविरत 5

13184 — 1 JUN 2012 प्रथम दिवस के साथ संलग्न

6

मधुबाला जैन
स्टाम्प वेन्डर
म. जी. मार्ग, इन्दौर (म. प्र.)

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
मध्य प्रदेश · MADHYA PRADESH
12AA 290215

पारिवारिक इकाई टाईप कमांक (5)

इस प्रकार के सदर भवन की पेन्ट हाउस में कुल एक प्रकोष्ठ है। जिसमें से प्रकोष्ठ नंबर पी–1 का सुपर बिल्टप एरिया 1130 वर्गफीट हैं। यह प्रकोष्ठ पेन्ट हाउस पर स्थित होगे।

उपरोक्त प्रत्येक प्रकोष्ठ के मुख्य दरवाजे से संबंधित तल के कारिडार में पहुंचा जा सकता है ।

2– **सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधाएं :–**

(क) इस विलेख के पहले पेरा में उल्लेखित भूमि –खण्ड
(ख) सम्पूर्ण भवन में निम्नलिखित सुविधाएं है :–

(1) भवन की छत पर पानी की एक टंकी
(2) तल मंजिल पर पानी की टंकी, बोरिंग
(3) भवन के रहवासियों हेतु पार्किंग स्पेस ।

यह कि, प्रत्येक प्रकोष्ठ के संबंध सम्मिलित क्षेत्रों तथा सुविधाओं में अविभाजित हित का प्रतिशत किसी भी रूप में घोषणा की तारीख को भारग्रस्त नहीं है।

(6) यह कि, **"रामकुटी"** सहस्वामित्व भवन (कन्डोमेनियम) जिसमें इस विलेख के पहले तथा पांचवे पेरा में वर्णित भवन तथा भूमि–खण्ड सम्मिलित है, का प्रशासन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार होगा ।

अविरत 6

13185 11 JUN 20

मधुबाला जैन
स्टाम्प वेन्डर
... इन्दौर (म. प्र.)

(7) यह कि, उपर दर्शाये अनुसार प्रत्येक स्वामित्व की एक योजना तैयार की गई है ताकि वे सभी तलों को पारिवारिक इकाईयों को स्वतंत्र रूप से उपयोग किये जाने योग्य व्यक्तिगत सम्पत्तियों के रूप में हस्तान्तरित तथा रजिस्ट्रीकृत किया जा सकें, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का भवन के सम्मिलित क्षेत्र तथा सुविधा तक जाने का अपना अलग निर्गम द्वार है, प्रत्येक पारिवारिक इकाईयों के स्वामियों का उसकी अपनी संबंधित पारिवारिक इकाई पर अन्य तथा विशिष्ठ अधिकार, हक्क और हित है तथा इसके अतिरिक्त सम्मिलित क्षेत्रों एवं सुविधाओं में विनिर्दिष्ट अविभाजित हित है ।

(8) यह कि, सम्मिलित क्षेत्र तथा सुदिधाएं अविभाजित रहेगी और कोई भी स्वामी उनके बंटवारे या विभाजन के लिये कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

(9) यह कि, सामान्य तथा या निर्बन्धित सम्मिलित क्षेत्रों और सुविधाओं में अविभाजित हित उस पारिवारिक इकाई से पृथक नहीं किया जावेगा जिसमें की वह अनुलग्न हो और ऐसा हित, भले ही वह किसी भी हस्तांतरण पत्र या अन्य लिखित अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित या वर्णित न हो उस इकाई को हस्तांतरित या भारग्रस्त समझा जावेगा।

(10) यह कि, यदि सम्पत्ति पूर्णतः या सारभूत रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जावें तो सम्पत्ति की मरम्मत पूर्ण निर्माण या व्ययन मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 में उपबन्धित रूप में किया जावेगा ।

अविरत 7

(11) यह कि, उपरोक्त प्रकोष्ठ भवन के समस्त स्वामी मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत एक संस्था का गठन करेंगे । तथा ऐसी संस्था का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी के यहां करवायेंगे ।

(12) यह कि, पूर्व में घोषणाकर्ता द्वारा इस संपत्ति बाबद एक घोषणा पत्र कमांक 2939(9) दिनांक 30–7–2011 का पंजीकृत कराया हैं, उसमें संशोधन होने से यह नवीन/अनुपूरक घोषणा पत्र पंजीयन कराया जा रहा हैं।

(13) यह कि, यह घोषणा पत्र सदर भवन के भू–स्वामियों ने सदर भवन के प्रकोष्ठधारियों की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर यथा युक्ति–युक्ति सावधानी पूर्वक तरीके से निष्पादित कर दिया है फिर यदि सदर भवन के संबंध में कोई आवश्यक तथ्य जोडने होंगे या विलोपित करना होंगे तो घोषणाकर्ता आवश्यकतानुसार संशोधन लेख या अनुपूरक लेख निष्पादित कर सकेंगे ।

अविरत 8

(((XII -8- XII)))

यह विलेख घोषणाकर्ता ने अच्छी तरह पढ़कर सोच समझकर, पूर्ण होश–हवास में निष्पादित कर दिया है ताकि सनद रहें व वक्त जरूरत काम आवें। इति।

इंदौर

दिनांक :– 8/6/12

हस्ताक्षर घोषणाकर्ता

साक्षीगण :–

1.सही

नाम संतोष कुमार S/o किशोर ...

पता 227 ... नगर इन्दौर

2.सही

नाम अविनाश कुमार S/o श्री रामरतन

पता 777/34 ... इंदिरा नगर इंदौर

उभयपक्ष द्वारा प्रदत्त माहिती एवं निर्देशानुसार तथा पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई फोटो प्रतियो के आधार पर मेरे द्वारा केवल प्रारूपित किया गया हैं। पक्षकारों एवं गवाह की पहचान एवं संपत्ति से मेरा कोई संबंध नहीं हैं।

एडव्होकेट

(आदित्य कुमरावत)

वसीयतनामा

शिरीर

8 JUN 2012

आज ता.........मास.........सन् 20......

को पुस्तक क्र...........................

ग्रन्थ ...115.......के.......89.....पृष्ठ

.........................पर क्रमांक 1670

पर पंजीबद्ध किया गया।

उप-पंजीयक

उप-जिला, इन्दौर-2

8 JUN 2012

1670

No 1670

100-

मुद्रांक शुल्क 100

पंजीयन शुल्क.....................

पृष्ठांकन शुल्क......25

नकल शुल्क.....................

योग 125

उप पंजीयक

उप-जिला, इन्दौर - 2

8 JUN 2012